

2365
Notice No : 247911



पोस्टल चालान शाखा,
यातायात पुलिस, फरीदाबाद, हरियाणा
ईमेल :- pcufbd@gmail.com
फोन नं. : 0129-2226265 Ext.35

POSTAL CHALLAN NOTICE

U/S 133 M.V. Act 1988

Name Of Owner	OLA FLEET TECHNOLOGIES PVT LTD	Registration No	HR55AD8373	Vehicle Class	Motor Cab
Father's Name	NA	Date & Time of Violation	03-04-2019 04:26:00 pm	Latitude, Longitude	
Address	LOWER GROUND FLOOR PLOT NO-86, UDYOG VIHAR PH-1, , Gurgaon-122001	Place of Violation	CROWN INTERIORZ MALL FBD		

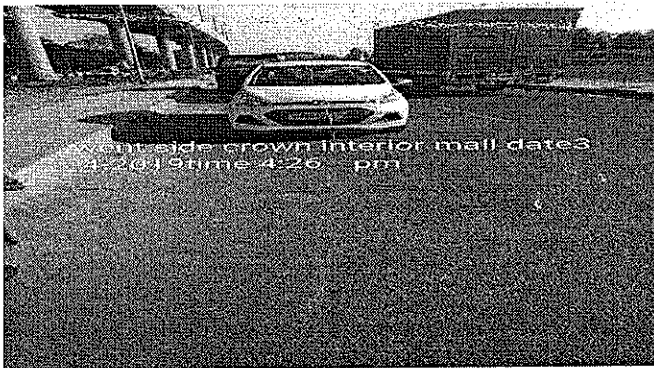
Offence Details

S.No	Offence	M. V. Section	Fine Amount
1	43. Wrong Side Driving	177	100

- मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी के रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त गाड़ी संख्या आपके नाम से दर्ज है इस वाहन के चालक ने उपरोक्त अपराध किया है
- मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 133 के तहत आपको नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वाहन के तत्कालीन चालक जिसने उपरोक्त वाहन को चलाते समय उपरोक्त अपराध किया है का नाम, पता, दूरभाष नंबर, व ड्राइविंग लाइसेंस संख्या, गाड़ी संख्या व नोटिस संख्या की जानकारी इस नोटिस के प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर लिखित रूप से देने के लिए कानूनन बाध्य है जो यह जानकारी निम्नलिखित माध्यम से दे :
 - ईमेल द्वारा pcufbd@gmail.com पर भेज सकते हैं
 - डाक द्वारा पोस्टल चालान शाखा, कमरा नं. 317, तृतीय तल, लघु सचिवालय, सेक्टर 12, फरीदाबाद पर भेज सकते हैं
 - स्वयं चालानिग शाखा में किसी भी कार्य दिवस में 10:00 AM से 01:00PM तथा 02:00 PM से 04:00PM तक आकर दे सकते हैं
- आप/चालक उपरोक्त अपराध करने पर सेक्शन 206 MV ACT 1988 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी
- अगर आप/चालक उपरोक्त चालान का भुगतान 15 दिन के अंदर अंदर नहीं करते हैं तो आपको बजरिया अदालत सम्मन किया जायेगा
- उपरोक्त अपराध करते समय गाड़ी का मालिक अगर वाहन न चला रहा हो, तो वाहन मालिक स्वयं वाहन चालक को सूचित करे कि वह पोस्टल चालान शाखा, कमरा नं. 317, तृतीय तल, लघु सचिवालय, सेक्टर 12, फरीदाबाद में चालान भुगतान करे
- अगर आप/चालक नेट बैंकिंग द्वारा अपने चालान का भुगतान करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया सेक्टर 12, फरीदाबाद के IFSC CODE - **SBIN0004457** A/C No. 36960832021 में भुगतान कर सकते हैं भुगतान करने उपरांत सलंग प्रोफार्मा भर कर पोस्टल चालान शाखा, कमरा नं. 317, तृतीय तल, लघु सचिवालय, सेक्टर 12, फरीदाबाद में जमा कराएं प्रोफार्मा चालानिग शाखा में प्राप्त होने पर भुगतान प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी
- चालान का भुगतान डाक द्वारा चेक/ड्राफ्ट (पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, फरीदाबाद के पक्ष में / In Favor of DCP Head Quarter, Faridabad) पोस्टल चालान शाखा, कमरा नं. 317, तृतीय तल, लघु सचिवालय, सेक्टर 12, फरीदाबाद को भेजकर या स्वयं किसी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 AM से 01:00PM तथा 02:00 PM से 04:00PM तक नगद/चेक/ड्राफ्ट द्वारा चालान का भुगतान कर सकते हैं

नोट:- उक्त अपराध का सबूत देखने के लिए किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:00 AM से 01:00PM तथा 02:00 PM से 04:00PM तक पोस्टल चालानिग यूनिट, कमरा नं. 317, तृतीय तल, लघु सचिवालय, सेक्टर 12, फरीदाबाद से सम्पर्क करे

नोट:- अगर उपरोक्त जानकारी 7 दिन के अंदर आप द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो यह मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 187 के तहत अपराध माना जायेगा, जिसमें आपको 3 महीने की कैद या 1000/- रुपये अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है



(Authority)

Verified Notice. Does not need signature



प्रोफार्मा मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान के भुगतान के लिए

यह प्रोफार्मा उस व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा जिसने उस समय वाहन चलाते समय अपराध किया है।

सेवा में

प्रभारी

पोस्टल चालान शाखा

यातायात पुलिस, फरीदाबाद

श्रीमान् जी,

उल्लेखित वाहन के चालक द्वारा यातायात नियमों की उल्लंघना की गई है। उपरोक्त सूचना-पत्र के माध्यम से आपके कार्यालय द्वारा निम्नलिखित सूचना मांगी गई है :-

चालक का नाम	
पिता का नाम	
पता व फोन नं०	
ड्राइविंग लाइसेंस नं०	
ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि	
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाली अथोरिटी का नाम	

मैं यातायात अधिनियम 1988 की धारा 200 के प्रावधान के अनुसार इस चालान का भुगतान नकद/चैक/ड्राफ्ट/नैट बैंकिंग के माध्यम से कर रहा हूँ। मैंने अपना नाम पता गाड़ी नं०, बुक नं०, चालान नं० तथा सूचना-पत्र नं० चैक/ड्राफ्ट सं० व ड्राइविंग लाइसेंस की स्व-अभिप्रमाणित फोटो प्रति साथ लगा दी है।

वाहन चालक नाम

हस्ताक्षर

मो०/फोन नं०.....

ई-मेल.....